

न्यायालय :- राकेश कुमार पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा
(म0प्र0)

कमांक/क्ष./प्र.फौ./ 329 / 2022

खण्डवा, दिनांक-25.04.2022

—:: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक ::—

मैं, राकेश कुमार पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला पूर्व निमाड खण्डवा, पूर्व समस्त कार्यविभाजन पत्रक को निरस्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, खण्डवा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक दण्डाधिकारीगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित करते हुए कार्य वितरण आदेश प्रसारित करता हूँ :-

—:: यह आदेश दिनांक 25.04.22 से प्रभावशील रहेगा ::—

क0	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1.	राकेश कुमार पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा	जिला पूर्व निमाड खण्डवा	<p>1. आर्थिक अपराधों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिसमें विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल दिनांक 26-04-2011 की अधिसूचना क0 फा. 1-8-8779 -इक्कीस-ब(एक) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से परामर्श के पश्चात एतद द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क फा. 1-8-79-इक्कीस-ब (1) दिनांक 28 जून 2007 के अनुसार निम्न लिखित अधिनियम के अंतर्गत विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा द्वारा विचारण हेतु अधिकृत किया गया है :-</p> <p>1-केन्द्रीय एक्साइज एक्ट, 1944 2-विदेशी व्यापार अधिनियम, 1992 3-कंपनी अधिनियम, 1956 4-वैल्य टैक्स अधिनियम, 1957, 5-गिफ्ट टैक्स अधिनियम, 1958 6-इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 7-कस्टम टैक्स एक्ट, 1962, 8-एक्सपोर्ट एक्ट, 1963, 9-कंपनी प्रॉफिट सरटेक्स एक्ट 10- मोनोपॉली व रिस्ट्रिक्टिव एक्ट, 1999</p> <p>2. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर :</p> <p>क-आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, खण्डवा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ (परिवाद प्रकरणों को छोड़कर) । ख-आरक्षी केन्द्र मोघट रोड की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ (परिवाद प्रकरणों को छोड़कर) । ग-आरक्षी केन्द्र यातायात के सीमा क्षेत्र के समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ</p> <p>3. म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा समस्त परिवाद (हरसूद व पुनासा को छोड़कर)।</p> <p>4. वनविधि, खनन विधि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के (आरक्षी केन्द्र हरसूद, खालवा, किल्लौद नर्मदानगर, मूदी, माघाता, को छोड़कर) संपूर्ण खण्डवा जिले में प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र</p>

5. खंडवा जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियों, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यथा नहीं है।
6. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, द्वारा समय समय पर अंतरित कार्यवाहियों।
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के अंतर्गत आवेदन पत्र।
8. खंडवा जिले के समस्त :
 - 1-म0प्र0 दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958,
 - 2-म0प्र0 बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1959,
 - 3-म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961
 - 4-खादय सुरक्षा मानक अधिनियम
 - 5-कारखाना अधिनियम 1948 से उद्भूत प्रकरण एवं आपराधिक कार्यवाहियों।
 - 6-श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) एवं राज्य के श्रम निरीक्षकों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत श्रम अधिनियम के आपराधिक प्रकरण।
 - 7- PC & PNDDT Act से उद्भूत प्रकरण/परिवाद एवं आपराधिक कार्यवाहिया।
 - 8- जिला खण्डवा में सरफेसी एक्ट से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र।
 - 9-खण्डवा क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।
9. खंडवा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से प्रस्तुत होने वाले अन्य विविध अधि0 से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियों, जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादं.सं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।

2. श्री विपेन्द्रसिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, एवं ग्राम न्यायाधिकारी खंडवा

जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

1. (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय अंतर्गत थाना क्षेत्र:-
 1. थाना सिटी कोतवाली खण्डवा के अंदर आने वाली नगर पालिका निगम की सीमा को छोड़कर (ग्राम-जसवाडी, बैडियांव, हापला, दीपला, लोहारी, लाडनपुर, जूनापानी, रूछी, नहाल्दा, कोटवाडा, मण्डारिया, टिठिया, बमनगांव टिगरियांव, बडगांवगुजर, सेगवाल, काल्याखेडी, खडकी, जामली)
 2. थाना मोघटरोड खण्डवा के अंदर आने वाली नगर पालिका निगम सीमा को छोड़कर (ग्राम बोरगांवखुर्द, टिटगांव, देवलामाफी, सिरपुर, सिहाडा, पांझरिया, नागचून, बडगांव मीला, अंजटी, अहमदपुरखैगांव, बावडियाकाजी, रोशनाई, मथेला, सुरगांवनिपानी, गोलजोशी, गोकूलगांव, कोरगला, पिपल्याहार, सिलोद, बडियातुलजा, खरकली, रेहमापुर, डिगरिस, गजवाडा)
 3. थाना छैगांवमाखन संपूर्ण थाना क्षेत्र।
 4. थाना धनगांव संपूर्ण थाना क्षेत्र।
 5. थाना पिपलौद संपूर्ण थाना क्षेत्र।

6. थाना जावर संपूर्ण थाना क्षेत्र।

से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित आपराधिक कार्यवाहियां (जो उपर वर्णित क्रमांक 1 लगायत 8 के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ऐसे प्रकरण), जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-1, भाग-2, तथा भाग-3 में दर्शित है।

क-आरक्षी केन्द्र छगावमाखन

की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां (मोटोरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्धदण्ड राशि 10,000/- रुपये से अधिक हो को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां।

2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र एवं थाना के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण

3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 498, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादस. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।

3. श्री वि.प्र. सोलंकी,
स्पेशल रेल्वे
मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खंडवा

जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

1. माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की अधिसूचना क्र. C/1636/III-6-4/57 जबलपुर, दिनांकित 09-04-2018 के अनुसार -

(क) भारतीय रेल अधिनियम, 1989,

(ख) रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 से संबंधित समस्त प्रकरण एवं आपराधिक कार्यवाहियां।

2. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरणों जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर :

1-थाना जी०आर०पी०, खण्डवा एवं

2-थाना आर०पी०एफ० खण्डवा

की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।

3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022

अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 498, 498-ए, 354, 354-ए,

354-बी, 509 भादस. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन

4.	श्री अभिवेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा	<p>(जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर क- आरक्षी केंद्र पदमनगर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्धदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादस. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।</p>
5.	सुश्री निधि जैन, (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा	<p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर क- महिला पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्धदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादस. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।</p>

<p>6. श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा</p>	<p>जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा</p>	<p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर : क- आरक्षी केंद्र पिपलौद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर)समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण एवं थाना मौघट रोड के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण 3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1996, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 मादसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।</p>
<p>7. श्री मोहन डार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा</p>	<p>जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा</p>	<p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर क- आरक्षी केंद्र धनगांव की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर)समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण एवं थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकारी के परिवाद एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण 3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1996, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए,</p>

		354-बी, 509 भादसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।
8.	श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा 1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर क-आरक्षी केन्द्र जावर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण 3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।
9.	श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा 1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर क-आरक्षी केन्द्र पंधाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण 3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए,

			354-बी, 509 भादसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।
10.	श्री जय प्रताप चिड़ार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद जिला खंडवा	तहसील हरसूद जिला खण्डवा	<p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर :</p> <p>क-आरक्षी केन्द्र हरसूद ख-आरक्षी केन्द्र किल्लीद</p> <p>की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां एवं (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्धदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर.) धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम एवं विविध अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, धारा 125, दं0प्र0सं0 एवं उससे उद्भूत अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र हरसूद, किल्लीद एवं खालवा के इन विधि, खनन विधि एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रकरणों की कार्यवाहियां</p> <p>3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र एवं आरक्षी केन्द्र खालवा से संबंधित आपराधिक परिवाद एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां।</p> <p>4. हरसूद, किल्लीद थाना क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है।</p> <p>5. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1996, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।</p>
11.	श्री महोदय पटेल, भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद, जिला खण्डवा	तहसील हरसूद, जिला खण्डवा	<p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर :</p> <p>क-आरक्षी केन्द्र खालवा</p> <p>की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां एवं (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्धदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर.) धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम एवं विविध अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, धारा 125, दं0प्र0सं0 एवं उससे उद्भूत अनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. खालवा थाना क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां</p>

			<p>जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादंस. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु श्री जयप्रताप चिड़ार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।</p>
12.	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा	तहसील पुनासा, जिला खण्डवा	<p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर क-आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर ख-आरक्षी केन्द्र मूंदी के सीमा क्षेत्र के समस्त आपराधिक प्रकरण (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर) एवं कार्यवाहियां।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर एवं मूंदी के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण (वन विधि, खनन विधि एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए), धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण।</p> <p>4. वनविधि, खनन विधि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, के पुनासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित प्रकरण</p> <p>5. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1998, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादंस. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।</p>
13.	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंखला न्यायालय मांघाता(ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा	तहसील पुनासा जिला खण्डवा	<p>1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर क-आरक्षी केन्द्र मांघाता(श्रृंखला न्यायालय ओंकारेश्वर)</p>

		<p>के सीमा क्षेत्र के समस्त आपराधिक प्रकरण (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्धदण्ड राशि 10,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर) एवं कार्यवाहियां।</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र मांघाता के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण (वन विधि, खनन विधि एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए), धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण।</p> <p>4. वनविधि, खनन विधि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, के पुनासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित प्रकरण</p> <p>5. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक-10-1/1996, दिनांक 23.04.2022 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा-494, 495, 496, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 509 भादसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।</p>
--	--	---

आवश्यक टीप:-

- 1- जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा में माननीय अतिथियों के प्रोटोकॉल की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन पर श्री जितेन्द्र मेहर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री विपेन्द्रसिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री वि.प्र. सोलंकी स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा देखी जा सकेगी।
- 2- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण कालम नंबर 4 में वर्णित कार्य के अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रकरणों/कार्यवाहियों की जांच विचारण करेंगे जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा द्वारा अंतरित की गयी हो एवं सुश्री निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा द्वारा जिले के अन्य थानों में दर्ज अपराध (जिसमें एस.सी.एस.टी. एक्ट की धारा पंजीबद्ध हो) की आवश्यक कार्यवाही तथा प्रथम रिमांड आदि प्रस्तुत होने पर उसे भी संपादित किया जावेगा।
- 3- प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोगपत्र नहीं लेंगे, जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म0प्र0 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, खण्डवा को प्राप्त है।
- 4- खंडवा जिले के सभी थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अंतिम प्रतिवेदन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये जायेंगे, जिन्हें संबंधित थाने से उद्भूत प्रकरणों के विचारण का अधिकार है। लेकिन पूर्व निमाड़ खण्डवा जिले के किसी भी थाना क्षेत्र के प्रकरण समाप्ति रिपोर्ट (Expunge Report) (जिसमें पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध बनना न पाया गया हो) का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा द्वारा किया जायेगा।
- 5- वर्तमान में संबंधित न्यायालय विद्यमान न होने पर पूर्व में पदस्थ किसी भी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकार की कार्यवाहियां और रिमांड प्रकरण या अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर ऐसे प्रकरणों के विचारण का तथा निष्पादन कार्यवाहियों आदि का कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा द्वारा संपादित किया

जावेगा।

6- वर्तमान में संबंधित न्यायालय, विद्यमान न होने पर पूर्व में पदस्थ किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकार की कार्यवाहियाँ और रिमांड प्रकरण या अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर ऐसे प्रकरणों के विचारण का तथा निष्पादन कार्यवाहियों आदि का कार्य श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा द्वारा संपादित किया जावेगा।

7- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन या आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं होगा।

8- न्यायिक अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उसकी धारा 176 द०प्र०स० के अधीन जांच मृतक जिस थाने के अपराध में निरोध में था, उस थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र में मृत्यु होने की दशा में उसकी धारा 176 द०प्र०स० के तहत जांच निम्नांकित मजिस्ट्रेट संपन्न करेंगे-

क्र०	नाम	अवधि
1	श्री अभिषेक सोनी, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	जनवरी, फरवरी
2	श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	मार्च, अप्रैल
3	श्री मनीष रघुवंशी, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	मई, जून
4	सुश्री निधि जैन(जूनियर), न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	जुलाई, अगस्त
5	श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	सितम्बर, अक्टूबर
6	श्री राहुल सोनी, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	नवम्बर, दिसम्बर

9- न्यायिक अधिकारी जो कि माह में न्यायिक जांच हेतु अधिकृत है, वे यदि मुख्यालय से बाहर है या अवकाश पर है या अन्य किसी कारण से न्यायिक जांच करने में असमर्थ हो तो अनुसूची कंमाक-अ के अनुसार न्यायिक जांच हेतु प्रभार रहेगा। धारा 176 द०प्र०स० के अंतर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिवत् कार्यवाही अविलंब संपादित कर प्रतिवेदन यथादेशानुसार प्रस्तुत करेंगे।

10- प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, खण्डवा की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने व सदस्यों की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा को छोड़कर किशोर न्याय बोर्ड खण्डवा के समस्त कार्य उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित किये जावेंगे।

Approved
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)

(राकेश कुमार पाटीदार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खण्डवा म.प्र.

न्यायालय :- राकेश कुमार पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला, खण्डवा (म०प्र०)

—:अनुसूची "अ":—

जिला न्यायालय पूर्व निमाड़, खण्डवा में पदस्थ कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/प्रशिक्षण/अनुपस्थिति पर रहने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम नंबर 03 के न्यायिक अधिकारीगण क्रमानुसार प्रभारी रहेंगे ।

क०	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अनुपस्थिति में प्रभार
1	2	3
1	राकेश कुमार पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा	1-श्री अभिषेक सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री विपेन्द्रसिंह यादव, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 4-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
2	श्री विपेन्द्रसिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री अभिषेक सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री मनीष रघुवंशी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
3	श्री वि.प्र. सोलंकी विशिष्ट रेल्वे मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-श्री राहुल सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
4	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-सुश्री निधि जैन, न्यायिक मजि.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री राहुल सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
5	सुश्री निधि जैन (जूनियर), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-श्री विपेन्द्र सिंह यादव, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री राहुल सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री मनीष रघुवंशी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
6	श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-श्री राहुल सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री मनीष रघुवंशी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
7	श्री मोहन डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री विपेन्द्रसिंह यादव न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
8	श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-श्री मनीष रघुवंशी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री विपेन्द्रसिंह यादव, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
9	श्री मनीष रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	1-श्री अभिषेक सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-श्री विपेन्द्र सिंह यादव न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
10	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील पुनासा एवं शंखुला न्यायालय मांघाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा पर कार्यरत होने पर	1-श्री मोहन डावर, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 2-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
11	श्री जय प्रताप चिड़ार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद	1-श्री महादेव पटेल न्या.म.प्र.श्रे.तहसील हरसूद 2-श्री मनीष रघुवंशी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-श्री अभिषेक सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
12	श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद	1-श्री जय प्रताप चिड़ार, न्या.म.प्र.श्रे.तहसील हरसूद 2-श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा 3-सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा

आवश्यक टीप :-

1. विशिष्ट रेल्वे मजिस्ट्रेट अपने भ्रमण कार्यक्रम (चलित न्यायालय) की पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय खंडवा को देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जायेंगे, जिसमें वे मुख्यालय पर उपलब्ध रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं गुरुवार को मुख्यालय पर उपस्थित होकर नियमित न्यायालयीन कार्य सम्पादित करेंगे।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सूचित कर पूर्व निमाड़, खंडवा (म०प्र०) में चलित न्यायालय लगाई जा सकेगी तथा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विचारण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाई जा सकेगी।
3. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने और उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदस्थापना न होने के कारण रिक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित थाने से उत्पन्न समस्त नवीन आपराधिक प्रकरण एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण अन्य आदेश होने तक उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जिनके द्वारा संबंधित अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उनका कार्य सम्पादित किया जाता था।
4. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले ऐसे संक्षिप्त विचारण के प्रकरण जिनमें अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया जाता है और सुपुर्दनामा आवेदन पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय से संबंधित अर्जेंट प्रकृति के आवेदन पत्र भी शामिल है) संबंधित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय के नाम से पंजीबद्ध किये जायेंगे। सुपुर्दगी आवेदन निराकृत उपरांत परिणाम दर्ज कर पत्रावली संबंधित न्यायालय में मूल प्रकरण में संलग्नार्थ भेजी जाए।
5. उपरोक्त कॉलम नंबर 3 के प्रभार वाले सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर होने पर स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रभारी अधिकारी के रूप में संबंधित न्यायालय का कार्यभार देखेंगे।

Approved
M
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म.प्र.)

14/05/12
(राकेश कुमार पाटीदार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा म.प्र.

—: अनुसूची 'ब' :—

// धारा 164 द.प्र.सं. कथन हेतु प्रभार //

नोट क्रमांक 01:- जिला न्यायालय पूर्व निमाड़, खण्डवा एवं तहसील हरसूद व पुनासा में पदस्थ कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के सम्मुख दर्शित कॉलम नंबर 03 के न्यायिक अधिकारीगण धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथनों को लेखबद्ध किये जाने हेतु कमानुसार प्रभारी रहेंगे।

क0	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारीगण का प्रभार
1	2	3
1	थाना कोतवाली/धनगांव	1-श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
2	मोघट रोड/अजाक/जावर	1-श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री मोहन डावर, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
3	पदमनगर/छैगांवमाखन	1-श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री मोहन डावर, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
4	पंधाना / जी.आर.पी / महिला पुलिस थाना	1-श्री मोहन डावर न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
5	पिपलौद/मांघाता	1-श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
6	नर्मदानगर / मुंदी	1-सुश्री निधि जैन, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
7	आबकारी वृत्त/खण्डवा यातायात/ वन परिक्षेत्र खण्डवा /श्रम विभाग खण्डवा से उद्भूत मामले	1-सुश्री निधि जैन, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा

नोट क्रमांक 02 :- जिला न्यायालय पूर्व निमाड़, खण्डवा एवं तहसील हरसूद में पदस्थ कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों किल्लौद, हरसूद एवं खालवा के सम्मुख दर्शित कॉलम नंबर 03 के न्यायिक अधिकारीगण धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथनों को लेखबद्ध किये जाने हेतु कमानुसार प्रभारी रहेंगे।

क0	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारीगण का प्रभार
1	2	3
1	किल्लौद/हरसूद	1-श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. हरसूद 2-सुश्री निधि जैन, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री मोहन डावर, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
2	*खालवा	1-श्री जय प्रताप चिडार, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2-श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3-श्री राहुल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा

नोट :-

1- *थाना खालवा से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकर धारा-494, 495, 498, 498-ए, 354, 354-ए, 354-बी, 508 मा0दं0सं0 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के धारा 164 द.प्र.सं के कथन/स्वीकारोक्ति श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील हरसूद जिला खण्डवा द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

2- इस आदेश के निर्वाचन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा को संदर्भित किया जावे।

Approved
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)

(*र*) राकेश कुमार पाटीदार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा म.प्र.